सं. 19030/1/2017-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप द्वीपसमूह तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में/से स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता – केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर यात्रा भत्ता से संबंधित इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV के पैरा 3(iii) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह उल्लिखित है कि उत्तर—पूर्वी क्षेत्र, अण्डमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप तथा लद्दाख में स्थानान्तरण के संबंध में रसीद/वाउचर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. इस विभाग में स्पष्टीकरण हेतु कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि यदि अधिकारी का स्थानान्तरण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से भारत के किसी अन्य भाग में अथवा इसके विपरीत हुआ हो तथा सरकारी कर्मचारी का परिवार साथ नहीं गया हो तो इस स्थिति में निजी सामान के परिवहन की पात्रता की 1/3 राशि के दावे के लिए रसीद/वाउचर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप द्वीपसमूह तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में अथवा इसके विपरीत स्थानान्तरण पर, रसीद/वाउचर प्रस्तुत करने संबंधी शर्तें निम्नानुसार होंगी:

(क) यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार इन क्षेत्रों में/से स्थानान्तरण की स्थिति में साथ नहीं जाता है तो कर्मचारी अपनी पात्रता के 1/3 भाग तक निजी सामान का परिवहन करने का पात्र है तथा निजी सामान के परिवहन के लिए उसकी पात्रता के 1/3 भाग का दावा करने के लिए रसीद/वाउचर का प्रस्तुत करना **आवश्यक नहीं है।**

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार इन क्षेत्रों से/में स्थानान्तरण पर साथ जाता है, तो कर्मचारी निजी सामान के परिवहन के स्वीकार्य लागत का पात्र है तथा निजी सामान के परिवहन के लिए उसकी पात्रता के अनुसार स्वीकार्य राशि का दावा करने के लिए रसीद/वाउचर प्रस्तुत करना **आवश्यक है।**

4. यह आदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। पूर्व मामले, जिनका पहले ही निस्तारण किया जा चुका है, फिर से नहीं खोले जाएंगे।

5. इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।